कार्यालय वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखंड, अल्मोड़ा। Email: cfkumaon_north@rediffmail.com, ☎ (05962) 231099 Fax: 230397 पत्रांक -५०८५ / 12-1 (2) अल्मोड़ा, दिनांक, २०-२- 2022.

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरा नगर, फारेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय :- जनपद- बागेश्वर में पाली जमन सिंह के मकान से पाली होते हुए लीमा तक मोटर मार्ग के सम्बन्ध में प्रस्ताव सं0. FP/UK/ROAD/20732/2016.

संदर्भः— भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर केन्द्रीय क्षेत्र) देहरादून की पत्र सं0 08 बी/यू0सी0पी0/06/173/2020/ एफ0सी0/2083 दिनांक 31.12.2020।

महोदय,

विषयगत मोटर मार्ग के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा लगायी गयी आपित्तयों का प्रतिउत्तर जो प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर के पत्रांक 2977/12-1 दिनांक 07.02.2022 से प्राप्त हुई है कि तीन हॉर्ड कॉपियां बन्द लिफॉफे में प्रेषित की जा रही है। प्रस्ताव ऑन लाईन से प्रेषित करने की कार्यवाही पृथक से की जा रही है।

संलग्न- प्रतिउत्तर की हॉर्ड कॉपी तीन प्रतियों में।

भवदीय

वन संरक्षक,

उत्तरी कुमाऊँ वृत्त उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर

Email-dfobag-forest-uk.nic.in/dfo_bageshwar@rediffmail.com दुरभाष एवं फैक्स नं0: 05963-220249वन मित्र काल सेटरं- 9208008000

दिनांक : 0 7/ 2 /2022 बागेश्वर 12-1-2 पत्रांक 2977 / सेवा में. वन संरक्षक. उत्तरी कुमाऊ वृत्त, उत्तराखण्ड अल्मोडा। जनपद बागेश्वर में जिला योजना के अन्तर्गत पाली जमन सिंह के मकान से पाली होते हुए विषय -लीमा तक मोटर मार्ग निर्माण के सम्बन्ध में (प्रस्ताव संख्या - 20732/2016) भारत सरकार का पत्रांक 8बी० / यू०सी०पी० / 06 / 101 / 2016 / एफ.सी. / 1318,दिनांक 18.09.2019। सन्दर्भ-महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के कम में अवगत कराना है, कि उक्त प्रस्ताव में जो आपत्तिया लगायी गयी है प्रस्तावक विभाग द्वारा बिन्दुवार निराकरण कर प्रस्ताव अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा नहीं है।

	रही है।	प्रस्तावक विभाग द्वारा उक्त प्रस्ताव में वन पंचायत
बिन्दु स0 1	As per DSS analysis 1.50ha area out of total 3.60ha area of CA is overlapping with proposal number FP/UK/ROAD/22925/2016. State Government may submit clarification in this regard and select some other area suitable for CA.	नौकोड़ी में 3.60 है0 क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु नय क्षत्र का चयन कर संशोधित मेप तैयार कर ऑनलाईन अपलोड कर दिया गया है। संलग्न – क्षतिपूरक वृक्षारोपण मैप, उपयोगिता प्रमाण पत्र, सी०ए० योजना प्राकलन।
2	KML file of the proposed area is not found uploaded. State Govt. may upload the KML file of area proposed for diversion at para C (ii) in part I online.	KML file of area proposed for diversion at para C (ii) in part I online upload कर दिया गया है।
3	It is seen that some other document found uploaded at para L (iv) in part I instead of ownership proof of CA land. State Govt may upload the ownership proof of CA land at para L (iv) f in part-I.	भीत का चयन कर CA योजना तैयार कर ऑनलाईन अपलोड कर दिया गया है। प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त प्रस्ताव 9 मी0 में बनाया गया है । जबिक पेड़ों की गणना 7 मी0 में की गयी है, जिस कारण पातन किये जाने वाले वृक्षों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। मार्ग निर्माण के दौरान कम से कम वृक्षों का पातन किया जायेगा।
4	It is seen that the name of CA scheme. State Govt may upload CA scheme mentioning the name of CA area.	
5	As per the norms of Indian road congress 52-2019 row may be kept as 9m but the tree felling be allowed only in 5.2m on alignment and 6.1m on curves/turns. Therefore trees enumerated on the row will not be required to be felled. State Govt. is required to submit enumeration list of trees for 6.1m width on turns and 5.2m for rest of the alignment.	
6	State Govt may upload a clear and legible copy of the administrative approval muck disposal plant geologist report and tree enumeration list as copy uploaded is not legible.	geologist report पार्ट । में and tree enumeration list पार
-	- 1/A - 3/A - 1/A	17.76

बाग श्यर बन प्रमाधः